



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 27 अगस्त, 2018/05 भाद्रपद, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

1. कृषि :

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2018 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2018 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :—

अकुशल कर्मकार : 225/- रुपए प्रतिदिन या 6750/- रुपए प्रतिमास

टिप्पणी :

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/वृद्धि अनुज्ञेय होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी :

अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीवि का जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग) :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के

अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार :		
भिंशती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेंम्परर ग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन/इलैक्ट्रिकल कुली/सिक्वोरिटी-गार्ड/बेलदार/ट्रैक्टर/रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर का क्लीनर/मजदूर सर्वे बॉय/वाचमैन/टी बॉय/पीअन(चपरासी)/ड्रेसर/आयल मैन/ग्रीसर/मैस हैल्पर/बॉय हैल्पर (0 से 5 साल)/खलासी (0 से 3 साल)/बिल डिस्ट्रीब्यूटर/मक्कर।	रुपए 225.00	रुपए 6750.00
अर्धकुशल कर्मकार :		
कारपेन्टर ग्रेड-II/मैसन ग्रेड-II/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ ग्रेड- II/सैनिटरी फिटर ग्रेड-II/पेन्टर/मैल्टरमेट/स्प्रे-मैन रोडज/क्रेन-मैन/बधाणी/अपहोलस्टर/फिटर एटैन्डेन्ट/ब्लैक स्मिथ (बोट मैन)/क्रेन-मैन/डिस्टेंम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पालिशर/स्टोन ड्रेसर/माली/बैल-सिंकर/वाइट-वाशर/वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड-II/पाइप फिटर ग्रेड-II/ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर/ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी)/हैमरमैन/कुक्/वल्कनाईज़र/नोजल मैन/टनल मैन/एलॉए ट्रौली आपरेटर/एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट/टनल जुबली मैन/टनल-मैन/हैल्पर (5 साल और अधिक)/आयल-क्लीनर/नावगाणी/मेट/हैड-वाचमैन/सहायक-लैवलर/खलसी (3 से 8 साल)/स्टोन-ड्रेसर/पम्प-एटैन्डेन्ट/आटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II/गार्डनर/गेज-रीडर/सहायक लैव एटैन्डेन्ट/आटो इलैक्ट्रीशियन/मोटर-मेट/इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट/टैलीफोन एटैन्डेन्ट।	रुपए 242.00	रुपए 7,260/-
स्टोन-ब्रेकर/राक कैरियर ब्रेकर/स्टोन-कैरियर	1-1/2" से 2 इंच रुपए 1334.00 घन फुट 1 से 1/4" इंच	रुपये 1488.00 घन फुट

कुशल कामगार :	रुपये	रुपये
कारपेन्टर ग्रेड-I/मैसन ग्रेड-I/ब्लैक स्मिथ/सेनेटरी फिटर ग्रेड-I/अप-होलसल्टर ग्रेड-I/सहायक पम्प ओपरेटर/पम्प ओपरेटर/पम्प ड्राइवर/चार्जमैन ग्रेड-II/जल आपूर्ति फिटर/कारपेन्टर ग्रेड-II/कम्प्रेसर आपरेटर/कम्प्रेसर ड्राइवर/दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या टेलर ग्रेड-II/क्रशर ड्राइवर/अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ट्रेसर/पलम्बर ग्रेड-I/पाईप फिटर ग्रेड-I/आटो ड्राइवर/सहायक मकैनिक/मिक्सर ड्राइवर/मिक्सर आपरेटर/संरचनात्मक फिटर ग्रेड-II/वर्कशाप फिटर/जनरेटर आपरेटर/जनरेटर ड्राइवर/प्लांट शाप फिटर/डीजल इंजन फिटर/ट्राली लाइन फिटर/क्रशिंग प्लांट फिटर/(बी0) प्लांट फिटर/जैक हैमर फिटर/इलैक्ट्रीकल फिटर/बन्च फिटर/शेपर/आटो फिटर/पाइप लाइन फिटर/रैफ्रिजरेटर प्लांट फिटर/ट्रैक्टर-आपरेटर/शाफ्ट माइनर/कोचरिंग आपरेटर/डोजर आपरेटर/रोकलेन आपरेटर/सक्रेपर-आपरेटर/लोडर आपरेटर/क्रेन आपरेटर/युकलिड-आपरेटर/वैगन ड्रिलआपरेटर/बोरिंग आपरेटर/एस0एल0डी0 क्रेन आपरेटर/(बी0) प्लांट आपरेटर/आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर/गैस कटर/टर्नर/ब्लैक स्मिथ/टिन स्मिथ/ट्रैक्शन वैटरी चार्जर/लाइनमैन टैलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार/वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर/बिन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर/मिलर/क्लाइमबर/मोल्लर/लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/फोरमैन ग्रेड-II/खलासी (8 साल से अधिक)/ट्रेसर आपरेटर/ई0एम0ई0 ड्राइवर/कम्प्रेसर/रौकर शावल आपरेटर/स्नो कटर आपरेटर/लोको आपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन/वर्क-मिस्त्री/मोटर-मेट/ट्रैक्टर ड्राइवर/टैलीफोन मकैनिक/डी0जी0 सेट आपरेटर/वायरलैस आपरेटर/वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-III,	269.17	8,075/-
उच्च कुशल:	रुपये	रुपये
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर/वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I/चार्जमैन ग्रेड-I/वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-I/टर्नर ग्रेड-I/मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर/मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री/संरचनात्मक फिटर ग्रेड-I/सर्वेयर/ड्राफ्टमैन/सहायक फोरमैन/मकैनिक/कम्पाउन्डर (अर्हित)/रोड रोलर ड्राइवर/बुलडोजर ड्राइवर/वायरमैन/आटो इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रीशियन/कैमिकल एनालाइजर ।	329.50	9,885/-
लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ :	रुपये	रुपये
बिटुमैन टायर इन्सपेक्टर/रोड इन्सपेक्टर/वर्क इन्सपेक्टर/स्टोर-कीपर/स्टोर-मुंशी/सुपरवाइजर/मीटर-रीडर/लैजर बुकिंग क्लर्क/बिल-क्लर्क/इरीगेशन बुकिंग क्लर्क/पटवारी/कम्पलेंट एटैन्डेन्ट/फैरो-प्रिटर/ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपेक्टर/सहायक स्टोर कीपर/लेखा-लिपिक/स्टैनोग्राफर ।	269.17	8,075/-

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

3. लोक मोटर परिवहन :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक मोटर परिवहन के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2018 से सशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ) :		रुपए	रुपए
(क)	चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	225 / - प्रतिदिन	6750 / - प्रतिमास
(ख)	वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है।	225 / - प्रतिदिन	6750 / - प्रतिमास
अर्ध-कुशल :		रुपए	रुपए
	1. सहायक इलैक्ट्रीशियन 2. सहायक मकैनिक 3. सहायक फिटर 4. सहायक ब्लैक स्मिथ 5. सहायक कारपेंटर 6. सहायक वैल्डर 7. सहायक टर्नर 8. सहायक बोरिंग बारमैन 9. सहायक मशीनिस्ट 10. सहायक कुशन-मेकर 11. सहायक बोलकेनाइजर 12. सहायक पेंटर 13. सहायक अपहोलस्टर 14. सहायक टायरमैन 15. सहायक स्प्रेमैन 16. सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक 17. सहायक रिट्रीडर 18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0 टी0 आई0 का सर्टिफिकेट हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो, जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो। 19. सहायक मोल्डर	235.17 प्रतिदिन	7,055 / - प्रतिमास
कुशल:		रुपए	रुपए
	मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन, स्प्रेटर, इलैक्ट्रीशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट हो या दो वर्षों का प्रोवेशन पीरियड हो जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।	261.52 प्रतिदिन	7846.00 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ :	रुपए	रुपए
हैड मकैनिक, कारबोरेटर/हैड इलेक्ट्रीशियन/गैरेज सुपर वाईजर	295.50 प्रतिदिन	8,865 /— प्रतिमास
जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि		
ग्रुप-ए :	रुपए	रुपए
आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट।	261.52 प्रतिदिन	7846 /— प्रतिमास
ग्रुप-बी :	रुपए	रुपए
मुख्य निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड/स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक।	277.52 प्रतिदिन	8326 /— प्रतिमास
ग्रुप-सी:	रुपए	रुपए
हैड एसिस्टेन्ट/हैड-क्लर्क, ऑडिटर/हैड-कैशियर	336.25 प्रतिदिन	10,088 /— प्रतिमास
रनिंग-स्टाफ :	रुपए	रुपए
1. ड्राइवर	299.12 प्रतिदिन	8,974 /— प्रतिमास
2. कन्डक्टर	268.60 प्रतिदिन	8,058 /— प्रतिमास
3. क्लीनर-कम-कन्डक्टर	248.12 प्रतिदिन	7,444 /— प्रतिमास
4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	118.72 प्रतिदिन	3562 /— प्रतिमास

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मचारियों का प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय, और संयुक्त आवास, सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल :	रुपए	रुपए
हैल्पर/शॉप-एसिस्टेंट/पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर/मसालाची/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर/पैकर/ मजदूर/लेन्डर/अनलेन्डर/मसैंजर/क्लाकरूम अटेंडैन्ट/ पोर्टर/भिस्ती/बेलदार/फायरमैन/पांडी/ पोस्टरमैन/कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो।	225.00 दैनिक 199.47 दैनिक	6750.00 मासिक 5534.00 मासिक
अर्धकुशल:	रुपए	रुपए
हैडपोर्टर/पैटरीमैन/काफी टीमेकर/चपातीमैन/सहायक-बेकर/गेट-कीपर (सिनेमा)/सहायक लाइनमैन/सहायक-आपरेटर/वाइंडर एसिस्टेंट बिल- कलैक्टर/ कनवैसर/ कुक/एसिस्टेंट हलवाई/बुक बाइंडर/स्टीचर/ रूलिंग-कटिंग औक्शनर/माली/सीवरमैन/होटल गाईड/ सहायक मिस्त्री/सहायक फिटर/सहायक टर्नर/ सहायक वैल्डर/ सहायक इलैक्ट्रीशियन/सहायक वैल्डर/ सहायक सेल्जमैन/सहायक बारबर/धोबी/प्रेसमैन/ ब्वायलर-मैन/ फिल्म-रिवाइंडर/वेटर/वीयरर/एसिस्टेंट रेडियो मकैनिक/ पेंटर/वाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/क्लर्क/(नॉन मैट्रिक) सहायक स्टोर कीपर/डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक मशीनमैन/इनक्वाअरी एटैन्डैन्ट/टेलीफोन एटैन्डैन्ट आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट धारक।	240.55 प्रतिदिन 214.12 प्रतिदिन	7,217 / - प्रतिमाह 6,424 / - प्रतिमाह
कुशल:	रुपए	रुपए
ब्लैक स्मिथ/टीनस्मिथ/वाचमेकर/रेडियो मकैनिक/ कारपेंटर/पलम्बर/ड्राइवर/सहायक टेलर/कटर (टेलरिंग)/स्टुवार्ड/जनरल मकैनिक/कुक/कन्फैक्शनर/ बेकर/स्वार्ड/बटलर/फिटर / ड्राफ्ट्समैन / टेलीफोन-ओपरेटर/कम्पाउंडर/गोल्डस्मिथ/शू-मेकर/शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन/ ड्राइक्लीनर/ डायर / बारबर / रैगुलर मशीनमैन/ मशीनिस्ट/वैल्डर/मोल्डर/कैशियर/क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम/रिसैपशनिस्ट/वेटर/वियरर स्टोर-कीपर/हैड वेटर/ हैड-वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों।	269.17 दैनिक 243.37 दैनिक	8,075 / - मासिक 7,301 / - मासिक
उच्च-कुशल :	रुपए	रुपए
स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/लेखाकार/मुख्य खजानची/ हैड कुक/हैड बटलर/हैड बेकर/हैड कन्फैक्शनर/हैड मकैनिक/इलैक्ट्रीशियन/फोरमैन/सुपरवाइजर/टेलर/कटर (टेलरिंग)।	282.12 दैनिक 257.40 दैनिक	8,464 / - मासिक 7,722 / - मासिक

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अगस्त, 2018

5. वानिकी उद्योग :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **वानिकी उद्योग** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मकारों के प्रवर्ग		संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1.	अकुशल कर्मकार :		
	1. वृक्षों का गिराना	रुपए 225.00	रुपए 6750.00
	2. लोपर (छांगी)	रुपए 240.55	रुपए 7217.00
	3. फैलर (गिरानी)	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
2.	लागिंग एण्ड स्वाईंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 295.50	रुपए 8865.00
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 274.40	रुपए 8230.00
3.	मैनुअल लेबर कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग :		
	1. कैरेज के लिए मजदूर	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
	2. लोडिंग/अनलोडिंग ऑफ टिम्बर के लिए मजदूर	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
4.	एरियल रोप वेज द्वारा कैरेज ऑफ टिम्बर :		
	1. स्पैन मिस्ट्री-कम-सुपरवाइजर	रुपए 295.50	रुपए 8865.00
	2. स्पैन मिस्ट्री	रुपए 274.40	रुपए 8232.00
5.	कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्राई स्लाइड : (पत्थर) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फ्लोटिंग)		
	1. मोहरी वाला मिस्ट्री	रुपए 320.15	रुपए 9605.00
	2. तारू	रुपए 305.27	रुपए 9158.00
	3. एसिसटेंट मिस्ट्री (हैल्पर मिस्ट्री)	रुपए 282.12	रुपए 8464.00
	4. दरियामैन	रुपए 305.27	रुपए 9158.00
	5. घालू	रुपए 252.17	रुपए 7565.00
	6. जमादार	रुपए 252.17	रुपए 7565.00
6.	मकैनाइज्ड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन :		
	1. सर्वेयर	रुपए 297.57	रुपए 8927.00
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 274.40	रुपए 8232.00
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 254.30	रुपए 7629.00
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 254.30	रुपए 7629.00
7.	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 350.12	रुपए 10504.00
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 258.97	रुपए 7769.00
	3. मुन्शी/टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
8.	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बैंड सॉ मिस्ट्री	रुपए 274.40	रुपए 8232.00

2.	सुपरवाइजर	रुपए 271.29	रुपए 8139.00
3.	हैड मिस्त्री	रुपए 274.40	रुपए 8232.00
4.	वायलर ड्राइवर	रुपए 274.40	रुपए 8232.00
5.	एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 235.17	रुपए 7055.00
6.	पलेनर मिस्त्री	रुपए 235.17	रुपए 7055.00
7.	हैल्पर	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
8.	कटर मैन	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
9.	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फ़ैलर तथा चिपर	रुपए 231.12	रुपए 6934.00
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रोसेसर	रुपए 230.55	रुपए 6917.00
उच्च कुशल :			
	बॉयलर एटैण्डेन्ट (प्रथम श्रेणी), ओवरसियर, हैडफोरमैन	रुपए 329.50 दैनिक	रुपए 9885.00 मासिक

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अगस्त, 2018

6. रसायन एवं रसायनिक उत्पाद :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि रसायन और रसायनिक उत्पादों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2018 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2018 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
	दैनिक	मासिक
अकुशल :	रुपए 225.00	रुपए 6750.00
अर्धकुशल :		
एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर अम्पुलर, हैगमैन, आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	रुपए 233.47	रुपए 7004.00
कुशल:	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार,	रुपए 269.17	रुपए 8075.00

बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।		
उच्च-कुशल :	दैनिक	मासिक
बॉयलर एटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवरसीयर, हैड फोरमैन	रुपए 329.50	रुपए 9885.00

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 जुलाई, 2018

7. इंजीनियरिंग उद्योग :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि इंजीनियरिंग उद्योग के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मकारों का वर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
अकुशल :	दैनिक	मासिक
अर्धकुशल :	रुपए 225.00	रुपए 6750
टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/लाइनर ग्रेड-III, प्रैस आपरेटर ग्रेड-III, स्प्रे पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असैम्बलर ग्रेड-III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-III, मोपर ग्रेड-III, ग्राइंडर ग्रेड-III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड-III, थ्रेंड/रोलर आपरेटर ग्रेड-III, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-III, फीडर ग्रेड-III, डाइमेकर ग्रेड-III, बैल्डर ग्रेड-III, टिनस्मिथ ग्रेड-III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड-III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड-III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-III, आयलमैन।	रुपए 233.47	रुपए 7004.00
कुशल :		
टेपर ग्रेड-II, टर्नर ग्रेड-II, ड्रिलर ग्रेड-II, शैपर ग्रेड-II, शैपर मैन ग्रेड-II, स्लाटरमैन ग्रेड-II, मकैनिक आपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II, लाईनर ग्रेड-II, स्प्रे पैन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-II, प्रैस आपरेटर ग्रेड-II, असैम्बलर ग्रेड- II, टेलर ग्रेड-II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II, ग्राइंडर ग्रेड-II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड- II, थ्रेंड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर ग्रेड/पैटरन	रुपए 269.17	रुपए 8075.00

मेकर ग्रेड-II, डाईमेकर ग्रेड-II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हैमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रीकल लाईनमैन ग्रेड-II, इलैक्ट्रीशन ग्रेड-II, आरमैचर वाईडर और क्वाईल बाईडर ग्रेड-II, केबल ज्वाइंटर ग्रेड-II, वाऊचर इंसपैक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II, सुपरवाइजर आई0 टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।		
उच्च-कुशल :		
टर्नर ग्रेड-I, ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-I, शेपर मैन ग्रेड-I, सलाटरमैन ग्रेड-I, मिलर ग्रेड-I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड-I, फिटर ग्रेड-I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-I, डाईमेकर ग्रेड-I, एन्ग्रेवर ग्रेड-I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-I, डाईसैटर ग्रेड-I, टूल सैटर ग्रेड-I, इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-II.	रुपए 329.50	रुपए 9885.00
क्लैरिकल स्टाफ :		
कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर	रुपए 245.00	रुपए 7351.00

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अगस्त, 2018

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन) :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि चाय बागान (टी प्लांटेशन) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट-छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित के नाम से ज्ञात।	रुपए 225.00 दैनिक	रुपए 6750.00 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला.—12 किलोग्राम से अधिक प्रोत्साहन के रूप में चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 16.28 रु0 प्रतिकिलो, अतिरिक्त मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 12.88 रु0 प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 9.60 रु0 प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के—‘ए’, ‘बी व ‘सी’ ग्रेड के लिए 16.28 रु0, 12.88 रु0 और 9.60 रु0 प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 229.56 रु0 प्रतिदिन, 6887.00 रु0 प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना : रुपए 225.00 दैनिक और रुपए 6750 मासिक

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, सिफ्टिंग मजदूर, विदरिंग, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

प्लांटेशन : रुपए 225.00 रुपए दैनिक और रुपए 6750.00 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

क्लैरिकल और नॉन-टैक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ :

1. लेखाकार रुपए 370.22 प्रतिदिन रुपए 11107.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
2. लिपिक रुपए 269.17 प्रतिदिन रुपए 8075.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
3. मुन्शी रुपए 284.53 प्रतिदिन रुपए 8536.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
4. चपड़ासी / चौकीदार / चौधरी रुपए 229.57 प्रतिदिन रुपए 6887.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रुपए 339.27	रुपए 10178.00
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रुपए 299.12	रुपए 8974.00
7. मकैनिक	रुपए 342.40	रुपए 10272.00
8. एसिसटैन्ट मकैनिक	रुपए 297.57	रुपए 8927.00
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-I	रुपए 342.40	रुपए 10272.00
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-II	रुपए 297.57	रुपए 8927.00

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग**अधिसूचना**

शिमला, 7 अगस्त, 2018

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन:

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड-ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04 2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रुपए 225.00 प्रतिदिन या रुपए 6750.00 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 233.47 प्रतिदिन या रुपए 7004.00 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)	रुपए 269.17 प्रतिदिन या रुपए 8075.00 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 329.50 प्रतिदिन या रुपए 9885.00 प्रतिमास

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अगस्त, 2018

10. होटल और रैस्टोरेंट :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **होटल और रैस्टोरेंट** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04-2018** से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ातरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों का प्रवर्ग	संशोधित मजदूरी	
	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां संयुक्त आवास और खाना, चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल :		
हैल्पर/चौकीदार/चपड़ासी/स्वीपर/मसालाची/गेटमैन/वाटरमैन/मसंजर/क्लाकरूम अटैंडेंट/पोटर/भिश्ती/बेलदार/फायरमैन/पांडी/पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो।	रुपए 225.00 दैनिक रुपए 6750.00 मासिक	रुपए 199.47 दैनिक रुपए 5984.00 मासिक
अर्ध कुशल कर्मकार:		
पेंट्रीमैन/काफी-टी मेकर/चपातीमैन/सहायक बेकर/कुकर/सहायक हलवाई/बुक बाईंडर/सटिचर/रूलिंग/कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाइड /असिस्टेंट मिस्त्री/असिस्टेंट फिटर/सीवरमैन/असिस्टेंट टर्नर/असिस्टेंट बैल्डर/ असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/असिस्टेंट सेलजमैन/असिस्टेंट बारबर/धोबी/प्रेसमैन/वॉयलरमैन/फिल्म रिवाइंडर/ब्राह्मवीअरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/वाइट वॉशर/पकौडा और चना मेकर/कलर्क (नॉनमैट्रिक)/डिस्ट्रीब्यूटर और असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर और मशीनमैन/इनक्वायरी एटैन्डेंट/टेलीफोन एटैन्डेंट/आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।	रुपए 240.55 दैनिक रुपए 7217.00 मासिक	रुपए 215.11 दैनिक रुपए 6453.00 मासिक
कुशल कर्मकार :		
ड्राइवर/हलवाई/कुकर/कन्फैक्शनर/बेकर/स्टीवरड/बटलर/ड्राफ्टसमैन/टेलीफोन ओपरेटर/रिसैपशनिस्ट/वेटर/वियरर/स्टोर कीपर/हैड वेटर/हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।	रुपए 269.17 दैनिक रुपए 8075.00 मासिक	रुपए 243.37 दैनिक रुपए 7301.00 मासिक
उच्च-कुशल:		
स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/अकाउंटेंट/हैड खजानची/हैड-कुकर/हैड-बटलर/हैड-बेकर/हैड-कन्फैक्शनर/ हैड-मकैनिक/इलैक्ट्रीशियन/फोरमैन/सुपरवाइजर/टेलर/कटर (टेलरिंग)।	रुपए 282.12 दैनिक रुपए 8464.00 मासिक	रुपए 257.40 दैनिक रुपए 7722.00 मासिक

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 अगस्त, 2018

11. निजी शैक्षणिक संस्थान :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2018 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01- 04-2018** से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रु0 225.00 प्रतिदिन या	रु0 6750.00 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु0 240.55 प्रतिदिन	रु0 7217.00 प्रतिमाह
कुशल	रु0 269.17 प्रतिदिन	रु0 8075.00 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु0 282.12 प्रतिदिन	रु0 8464.00 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां

महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित दैनिक	मजदूरी मासिक
1. अकुशल कर्मकार		
चपडासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकावेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक,	रु0 225.00	रु0 6750/—

इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वैल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, टीएम अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायरमैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोर्टरी असिस्टेंट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलैस ऑपरेटर का सहायक, ईन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईन्जन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर-कम-बेलदार, वॉशर मैन/वाशर मेड, ऑफिस ब्याय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी ।		
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकावेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वैल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डैन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्वोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव), कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, लोकोमोटिव अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेंट, सहायक फायरमैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोर्टरी सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलैस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटेन्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लैट अटेन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।	रु0 242.00	रु0 7260 /—
3. कुशल कर्मकार :		
डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, कशिंग ऑपरेटर, एक्सकावेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वैल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डैन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टैकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाईड्रो क्रेन ऑपरेटर, सरवेयर, सक्रेप ऑपरेटर, बोबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी ।	रु0 269.17	रु0 8075 /—
4. उच्च-कुशल कर्मकार :		
वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर,	रु0 329.50	रु0 9885 /—

वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वैल्डर, वरिष्ठ डैन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वैल्डर एक्सरे, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टैनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से उपर का अनुभव)।		
---	--	--

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
6. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
7. गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
8. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां

महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “फार्मास्यूटिकल उद्योग” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2018 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित मजदूरी	
1. अकुशल कर्मकार :	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबारेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपड़ासी।	रु0 225	रु0 6750/-
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिव्योरिटी गार्ड, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेड।	रु0 233.47	रु0 7004/-

3. कुशल कर्मकार :		
आफिसर (बी0 फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी0 फार्मा), ऑपरेटर, सिक्वोरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु0 269.17	रु0 8075/-
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रजेंटेटिव, बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी कैमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट, स्टैनोग्राफर।	रु0 329.50	रु0 9885/-

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षकों की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
1. अकुशल कर्मकार :		
हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार/वाचमैन, चपड़ासी, रूम ब्याय, आफिस ब्याय, वार्ड ब्याय, मसालची।	रु0 225.00 दैनिक रु0 6750 मासिक	रु0 199.47 दैनिक रु0 5984 मासिक
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
क्लीनिक अटेन्डेंट, एसिसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, सिक्थोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर एसिस्टेन्ट, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।	रु0 240.55 दैनिक रु0 7217 मासिक	रु0 214.12 दैनिक रु0 6424 मासिक
3. कुशल कर्मकार :		
रिसेप्सनिशट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो	रु0 269.17 दैनिक रु0 8075 मासिक	रु0 243.37 दैनिक रु0 7301 मासिक

ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसिसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसिसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसिसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैक्शनलिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक, धोबी।		
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
स्टाफ नर्स, सिक्सोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टैनोग्राफर।	रु0 282.12 दैनिक रु0 8464 मासिक	रु0 257.40 दैनिक रु0 7722 मासिक

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

15. घरेलू कामगार :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “घरेलू कामगार” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं :—

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
1. अकुशल कर्मकार :		
हैल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉचमैन, वॉशरमैन	रु0 225.00 दैनिक रु0 6750 मासिक	रु0 171.00 दैनिक रु0 5130 मासिक
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
सिक्वोरिटी गार्ड, माली	रु0 240.55 दैनिक रु0 7217 मासिक	रु0 181.88 दैनिक रु0 5456 मासिक
3. कुशल कर्मकार :		
कुक, चालक	रु0 269.17 दैनिक रु0 8075 मासिक	रु0 201.92 दैनिक रु0 6058 मासिक

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

16. सफाई कर्मचारी नियोजन :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “सफाई कर्मचारी नियोजन” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं :-

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित मजदूरी	
1. अकुशल कर्मकार :	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन	रु0 225.00	रु0 6750
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेन्ट।	रु0 233.47	रु0 7004
3. कुशल कर्मकार :		
चालक, मेसन्, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु0 269.17	रु0 8075
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	रु0 329.50	रु0 9885

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

17. सुरक्षा सेवाएं :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “सुरक्षा सेवा” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2018** से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित मजदूरी	
1. अकुशल कर्मकार:	दैनिक	मासिक
हैल्पर, वॉचमैन	रु0 225.00	रु0 6750

2. अर्ध-कुशल कर्मकार:		
सिक्थोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।	रु0 233.47	रु0 7004
3. कुशल कर्मकार :		
सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हैड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु0 269.17	रु0 8075
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सिक्थोरिटी आफिसर, सिक्थोरिटी मैनेजर, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	रु0 329.50	रु0 9885

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं :—

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
1. अकुशल कर्मकार :		
चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार	रु0 225.00 दैनिक रु0 6750 मासिक	रु0 199.47 दैनिक रु0 5984 मासिक
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
चपाती मैन्, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्वोरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेन्ट।	रु0 240.55 दैनिक रु0 7217 मासिक	रु0 214.12 दैनिक रु0 6424 मासिक
3. कुशल कर्मकार:		
वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु0 269.17 दैनिक रु0 8075.00 मासिक	रु0 243.37 दैनिक रु0 7301 मासिक

4. उच्च कुशल कर्मकार:		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेण्डेंट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट।	रु0 282.12 रु0 8464	रु0 257.40 रु0 7722

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षकों की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अगस्त, 2018

19. टोल टैक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार :

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “टोल टैक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2018** से निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018, तारीख 24-04-2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 10-05-2018 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2018** को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2018 से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं :—

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित मजदूरी	
1. अकुशल कर्मकार :	दैनिक	मासिक
चपड़ासी, आफिस व्याय, मसालची	रु0 225.00	रु0 6750
2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
सहायक कुक, कैश कलेक्टर, एसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्वोरिटी गार्ड, कम्प्लेन्ट अटेन्डेंट।	रु0 233.47	रु0 7004
3. कुशल कर्मकार :		
इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु0 269.17	रु0 8075

4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेंट, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	रु0 329.50	रु0 9885

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षकों की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

1. AGRICULTURE :

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from 01-04-2018;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram(A)4-2/2018 dated 24-04 2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* 1-4-2018.

Un-skilled workers Rs. 225/- per day or Rs. 6750/- per month.

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* 1-4-2018.

Category of Workers

Revised Wages

	Daily 2	Monthly 3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/ Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/ Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/ Electrical Coolie/Security Guard/Beldar/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/ Majdoor/Survey Boy/Watchmen/Tea Boy/Peon/Dresser/Oilmen/Greaser/Messhelpers/Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker	225.00	6,750/-
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/Mason Grade-II/Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/ Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/Craneman/ Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/Caneman/Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/Stone Dresser/Mali/Well Sinker/White Washer/Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/	242.00	7,260/-

Assistant Welder/ Assistant Turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified/Experienced)/Hammer Man/ Cook/ Vulcaniser/Nozzle Man/Tunnel Man/Alloy Trolley Operator/Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/Tunnel Jublliman/Tunnel Man/Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/ Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/ Motor Mate/Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Carrier 1½ inch to 2 inch = Rs. 1334 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1488 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :

Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/ Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/Pump Operator/Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/Compressor Operator/Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/Darji or Tailor Grade-II/ Crasher Driver/Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/Mixer Driver/Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/Workshop Fitter/ Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/Diesel Engine Fitter/Trolley Line Fitter/ Crushing Plant Fitter/B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/Electrical Fitter/Bunch Fitter/Shaper/Auto Fitter/Pipe Line Fitter/Refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/Kochring Operator/ Dozer Operator/Roclain Operator/Scraper Operator/Loader Operator/Crane Operator/Eucild Operator/Wagon Drill Operator/Boaring Operator/SLD crane Operator/B Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/Gas Cutter/turner/Black Smith/ Tin Smith/Traction Battery Charger/Line Man/ Telephone Operator/Khalsi/Jamadar/Winder/ Blaster Driller/Winch Fitter/Compounder/Painter/ Miller/Climber/Moulder/ Levellers/Saw Mill Cutter/ Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above)/Tracer Operator/ E.M.E./Driver/ Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator/Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/ Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/ Workshop Forman Grade-II.

Rupees

269.17

Rupees

8,075/-

HIGHLY SKILLED

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator/Mason/Mistry and Carpenter Mistry/ Structural Fitter Grade-I/ Surveyor/Draftsman/Assistant Foreman/Machinist/

Rupees

329.50

Rupees

9885/-

Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/Chemical Analyser.

Clerical and non Technical Supervisory Staff

Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/Store Keeper/Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/Bill Clerk/Irrigation Booking Clerk/Patwari/Complaint Attendant/Ferro Printer/Driver (Jeep/Car/Tractor) Clerk/Mechanical Inspector/Assistant Store Keeper/ Accounts Clerk/Stenographer.

Rupees

269.17

Rupees

8,075/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* 01-04-2018.

General Staff Unskilled Rs. 225/- per day, Rs. 6750/- per month

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri

(b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Semiskilled

Rs. 225/- per day, Rs. 6,750/- per month

Rs. 235.17 per day, Rs.7,055/- per month

1. Asstt. Electrician

2. Asstt. Mechanic

3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asstt. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asstt. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Moulders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 261.52 per day or
Rs. 7846/- per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 295.50 per day or
Rs. 8865/- per month.

Group-A**GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC. :**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno Typist, Store day book Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.	Rs. 261.52 per day or Rs. 7846/-per month.
---	---

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store- Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.	Rs. 277.52 per day or Rs. 8326/- per month.
--	--

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.	Rs. 336.25 per day or Rs. 10,088/- per month.
--	--

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1. Driver	Rs. 299.12	Rs. 8,974/-
2. Conductor	Rs. 268.60	Rs. 8,058/-
3. Cleaner-cum-Conductor	Rs. 248.12	Rs. 7,444/-
4. Part-Time Booking Clerk	Rs. 118.72	Rs. 3562/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

4. **SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT**

No. Shram (A)4-2/2018 .—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & Commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2018;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* 01-04-2018.

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/Sweeper/Masalchi/Gateman/Waterman/ Cleaner/ Packer/Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rupees Rs. 225/-Daily	Rupees Rs. 199.47 Daily
Semi-Skilled Head Porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema)/Asstt. Lineman/Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector/Convesser/ Cook/Assistant Halwai/Book Binder/Sticher/ Rulling-Cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/Assistant Turner/ AssistantWelder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Waiter, Bearer, Assistant Radio Machanic/Painter/White Washer/Pakora and Chana maker/Clerk (Nonmatric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.	Rupees Rs. 240.55 Daily. Rs. 7,217/- Monthly.	Rupees Rs. 214.12 Daily Rs.6424/- Monthly.
Skilled: Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/ Cutter (Tailoring)/General Mechanic/Halwai/Cook/ Confectioner/ Baker/Steward/Butler/Fitter/Draughtsman/ Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith/Shoe Maker/Shawl-Carpet Weaving/Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular Machineman/Machinist/Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk/(Matric) Munim/ Receptionist/ Waiter/Bearer/ Storekeeper/ Headwaiter/ Head Bearer (Western Style Hotels)/ Lineman. ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees Rs. 269.17 Daily. Rs. 8,075/- Monthly.	Rupees Rs. 243.37 Daily Rs. 7301/- Monthly.

Highly Skilled	Rupees	Rupees
Store Keeper/ Clerks (Graduates)	Rs. 282.12	Rs. 257.40 daily
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/	Daily.	
Head Butler/Head Baker/ Head		
Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/	Rs. 8,464/-	Rs. 7722/-
Foremen/Supervisor/ Tailor/Cutter	Monthly	Monthly
(Tailoring)		

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled:—**A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled:—**A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled:—**A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

5. FORESTRY INDUSTRIES

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1. Felling of trees:	Rs. 225.00	Rs. 6,750/-
1. Lopper (Changi)	Rs. 240.55	Rs. 7,217/-
2. Feller (Garani)	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
2. Logging and sawing including timber passing:		
1. Dresser (Panchani)	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
2. Sawyer (Charani)	Rs. 295.50	Rs. 8,865/-
3. Blacksmith	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-
3. Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.\	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-

4. Carriage of timber by Aerial ropeways :

1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 295.50	Rs. 8,865/-
2. Span Mistry	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-

5. Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floating):

1. Mohri-wala Mistry	Rs. 320.15	Rs. 9,605/-
2. Taru	Rs. 305.27	Rs. 9,158/-
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 282.12	Rs. 8,464/-
4. Darya-man	Rs. 305.27	Rs. 9,158/-
5. Ghalu	Rs. 252.17	Rs. 7,565/-
6. Jamadar	Rs. 252.17	Rs. 7,565/-

6. Mechanised logging and timber extraction:

1. Surveyor	Rs. 297.57	Rs. 8,927/-
2. Ski-line Operator	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-
3. Truck Driver	Rs. 254.30	Rs. 7,629/-
4. Compressor Driver	Rs. 254.30	Rs. 7,629/-

7 Clerical Staff:

1. Manager	Rs. 350.12	Rs. 10,504/-
2. Accountant	Rs. 258.97	Rs. 7,769/-
3. Munshi/ Typist clerk	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-

8. Saw Mill Workers:

1. Band Saw Mistry	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-
2. Supervisor	Rs. 271.29	Rs. 8,139/-
3. Head Mistry	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-
4. Boiler Driver	Rs. 274.40	Rs. 8,232/-
5. Assistant Mistry	Rs. 235.17	Rs. 7,055/-
6. Planner Mistry	Rs. 235.17	Rs. 7,055/-

7. Helper	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
8. Cutter man	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
9. Katha Extraction:		
1. Feller and Chipper	Rs. 231.12	Rs. 6,934/-
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 230.55	Rs. 6,917/-

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 329.50. Daily. Rs. 9885.00 Monthly.

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised minimum rates

Unskilled

Rs. 225.00 Daily

Rs. 6750/- Monthly

Semi-Skilled

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copperman, Re irrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market Seller/Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

Rs. 233.47 Daily

Rs. 7004/- Monthly

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant Operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-Keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 269.17 Daily Rs. 8,075/- Monthly
--	---

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs. 329.50 Daily Rs. 9885/- Monthly
---	--

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled:—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram (A) 4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled

Rs. 225.00. Daily
Rs. 6,750/- Monthly

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammerman Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 233.47 Daily
Rs. 7,004/- Monthly

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book Screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 269.17 Daily.
Rs. 8,075/- Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter Man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye Maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I.

Rs. 329.50 Daily
Rs. 9,885/- Monthly

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 245.02 Daily.
Rs. 7,351/- Monthly.

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Skilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 07th August, 2018***8. TEA PLANTATION**

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018;**

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hocking, pruning weeding, plucking <i>etc.</i> known as unskilled workers employed in the operation.	Rs. 225.00 Daily or Rs. 6,750/- Monthly.
---	---

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 16.28 per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 12.88 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 9.60 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 16.28, Rs. 12.88 and Rs. 9.60 per kilogram for ABC grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 229.56 per day, Rs. 6887/- per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, Fermenting room workers, tea boys, sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)	Rs. 225.00 daily Rs. 6,750/- Monthly
---	---

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs <i>etc.</i> who maintain records of a field work and also includes Sweeper, Mali & Mate.	Rs. 225.00 daily Rs. 6,750/- Monthly
--	---

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 370.22	Rs.11,107/- per month plus free accommodation.
---------------	------------	--

2.	Clerks	Rs. 269.17	Rs. 8,075/- per month plus free accommodation.
3.	Munshi	Rs. 284.53	Rs. 8,536/- per month plus free benefits as admissible to clerk.
4.	Peon, Chowkidar/ Chaudhary	Rs. 229.57	Rs. 6,887/- per month plus free benefit as admissible.
			Daily
5.	Compounder	Rs. 339.27	Monthly
6.	Driver (Jeep/Car/Tractor)	Rs. 299.12	Rs.10,178/-
7.	Mechanic	Rs. 342.40	Rs. 8,974/-
8.	Assistant Mechanic	Rs. 297.57	Rs. 10,272/-
9.	Electrician-cum-Mechanic, Grade-I	Rs. 342.40	Rs. 8,927/-
10.	Electrician-cum-Mechanic, Grade-II	Rs. 297.57	Rs.10,272/-
			Rs. 8,927/-

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 07th August, 2018

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No. Shram (A)4-2/2018 .—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under :—

Unskilled Workers	Rs. 225.00 per day or Rs. 6,750/- per month
Semi-skilled	Rs. 233.47 per day or Rs. 7,004/- per month
Skilled & Clerical Staff	Rs. 269.17 per day or Rs. 8,075/- per month
Highly-Skilled	Rs. 329.50 per day or Rs. 9,885/- per month

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No. Shram (A)4-2/2018.— Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Wages Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/Masalachi/ Gateman/ Waterman/Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/Bhishti/Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/any worker doing un-skilled job.	Rs. 225.00 Daily Rs. 6,750.00 Monthly	Rs. 199.47 Daily Rs. 5,984/- Monthly

SEMI-SKILLED WORKER:

	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners/ Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi, Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer/ Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machinman Enquiry Attendant, Telephone Attendant ITI certificate holder who are working in the other trade.	Rs. 240.55 Daily	Rs 215.11
	Rs. 7,217/- Monthly	Rs. 6,453/- Monthly.

SKILLED WORKERS :

	Rupees	Rupees
Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/Draughtsman/Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/ Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 269.17 Daily	Rs. 243.37 Daily
	Rs. 8,075/- Monthly.	Rs. 7,301/- Monthly

Highly Skilled

	Rupees	Rupees
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant/ Head Cashier/ Head Cook/Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs. 282.12 Daily	Rs. 257.40
	Rs. 8,464/- Monthly.	Rs. 7,722/- Monthly.

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram ((A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2018**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under :—

Unskilled Workers	Rs. 225.00 per day or Rs. 6,750/- per month
Semi-skilled	Rs. 240.55 per day or Rs. 7,217/- per month
Skilled	Rs. 269.17 per day or Rs. 8,075/- per month
Highly skilled	Rs. 282.12 per day or Rs. 8,464/- per month

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

12. HYDRO POWER PROJECTS

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under :—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM	225.00	6,750/-

Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali	242.00	7,260/-
--	--------	---------

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai (more than 5 years experience), Dhobi.	269.17	8075/-
---	--------	--------

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).	329.50	9,885/-
--	--------	---------

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**— A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled	Rs.	Rs.
Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 225.00	Rs. 6,750/-
Semi-Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 233.47	Rs. 7,004/-
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 269.17	Rs. 8075/-
Highly Skilled		
Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B. Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.	Rs. 329.50	Rs. 9,885/-

NOTE :

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**— An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram ((A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

14. HOSPITALS/NURSING HOMES & CLINICS

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers

working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2018 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where benefit provided	no is	Where tea & food, combined accommodation provided
Un-skilled	Rs.		Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy, Ward Boy, Masalchi.	225.00 6,750/-Monthly		199.47 Daily. 5,984/- Monthly
Semi-Skilled	Rs.		Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	240.55 Daily 7,217/- Monthly		214.12 Daily 6,424/-Monthly
Skilled:	Rs.		Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi.	269.17 Daily 8,075.00 Monthly		243.37 Daily 7,301/- Monthly
Highly Skilled	Rs.		Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant, Stenographer	282.12 Daily 8,464/- Monthly		257.40 daily 7,722/-Monthly

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

15. DOMESTIC WORKERS

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman, Washer man	225.00 Daily 6,750.00 Monthly	171.00 Daily 5,130/- Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Security Guard, Mali	240.55 Daily 7,217/-Monthly	181.88Daily 5,456/- Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook, Driver	269.17 Daily 8,075/- Monthly	201.92 Daily 6,058/- Monthly

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

16. SAFAI KARAMCHARI EMPLOYMENT

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers

working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:—		
Sweeper/Safai Karamchari, Beldar, Cartman,	Rs. 225.00	Rs. 6,750/-
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.233.47	Rs. 7,004/-
Skilled		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 269.17	Rs. 8,075/-
Highly Skilled		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Stenographer	Rs. 329.50	Rs. 9,885/-

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

17. SECURITY SERVICES

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper, Watchman	Rs. 225.00	Rs. 6,750/-

Semi-Skilled

Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 233.47	Rs.7,004/-
---	------------	------------

Skilled

Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 269.17	Rs. 8,075/-
--	------------	-------------

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager, Stenographer, Accountant.	Rs. 329.50	Rs. 9,885/-
---	------------	-------------

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Skilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th August, 2018

18. TEMPLES AND RELIGIOUS PLACES/DHARAMSHALAS :

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No:Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018;

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers

working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar	225.00 Daily 6,750.00 Monthly	199.47 Daily 5,984/- Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	240.55 Daily 7,217/- Monthly	214.12 Daily 6,424/- Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	269.17 Daily 8,075/- Monthly	243.37 Daily 7,301/- Monthly
Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer, Accountant.	282.12 Daily 8,464/- Monthly	257.40 Daily 7,722/- Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 07-08-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla, the 07th August, 2018***19. WORKERS WORKING IN TOLL TAX BARRIERS :**

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2018;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 10-05-2018 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2018.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **1st April, 2018** as per recommendations of the said Committee as under:—

	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled Workers :		
Peon, Office Boy, Masalchi	Rs. 225.00	Rs. 6,750/-
Semi-skilled:		
Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 233.47	Rs. 7,004/-
Skilled:		
Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 269.17	Rs. 8,075/-
Highly-Skilled:		
Supervisor, Superintendent, Stenographer, Accountant.	Rs. 329.50	Rs. 9,885/-

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational

environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,
Sd/-

Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

**In the Court of Mrs. Shilpi Beakta, H.P.A.S., Sub Divisional Magistrate, Hamirpur,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

Smt. Bhambo Devi w/o Late Sh. N. K. Sarwan Singh, Village Dugha Khurd, P. O. Dugha,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.) ... Applicants.

Versus

General Public

...Respondents.

Subject.—Notice for late registration of date of birth as per section 13(3) in Gram Panchayat Dugha record.

Whereas Smt. Bhambo Devi has filed an application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 along with her affidavit and relevant record pertaining to her actual date of birth *i.e.* 01-10-1937 which is not entered in applicant Gram Panchayat record inadvertently or ignorance and lack of knowledge of applicant and her family member. Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding issuing order for entry of date of birth of applicant Smt. Bhambo Devi *i.e.* 1-10-1937 can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-09-2018. The objection received after will not be entertained and order will be issued for the registration of date of birth accordingly.

Issued today on 08-08-2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

भूपेश पुत्र उत्तम राम, निवासी थडेधार, डाकघर सरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में भूपेश पुत्र उत्तम राम, निवासी थडेधार, डाकघर सरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पुत्र प्रियांश का जन्म दिनांक 23-12-2017 को हुआ है। इसका नाम अज्ञानता व अनपढ़ता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूं और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत सरगा में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रियांश पुत्र भूपेश का नाम ग्राम पंचायत सरगा में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त प्रियांश का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरगा में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत सरगा को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मोहर सिंह पुत्र श्री आलम चन्द, गांव बासी, डाकघर पोशना, कोठी ढौल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रवादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में मोहर सिंह पुत्र श्री आलम चन्द, गांव बासी, फाटी कशोली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री साक्षी का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूं और उसकी पुत्री साक्षी का जन्म 28-04-2005 को हुआ है जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत बाडी में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को साक्षी पुत्री मोहर सिंह के नाम व जन्म ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत बाडी को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री छाया राम पुत्र चुडाराम, निवासी ब्रौहढ, फाटी घाटू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री छाया राम पुत्र चुडाराम, निवासी ब्रौहढ, फाटी घाटू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके तुखम से पुत्री कु0 विपाशा का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करा सका है और उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 20-09-2008 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत घाटू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 विपाशा पुत्री छाया राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत घाटू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत घाटू को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारा देवी पत्नी घुमी राम, निवासी ढरोपा, फाटी गडेझ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्रीमती तारा देवी पत्नी घुमी राम, निवासी ढरोपा, फाटी गडेझ, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडेझ के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में 35 साल गलत दर्ज है। जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायला ने ग्राम पंचायत गडेझ के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में सही जन्म तिथि दिनांक 12-03-1965 दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को तारा देवी पत्नी घुमी राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडेझ में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडेझ में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गडेझ को सही जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

चमन लाल पुत्र श्री सजनू राम, गांव पनाशा, डाकघर पोशना, कोठी कंढी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में चमन लाल पुत्र श्री सजनू राम, गांव पनाशा, डाकघर पोशना, कोठी कंढी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र कमल का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूं और उसके पुत्र कमल का जन्म दिनांक 07-08-2007 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत पोशना में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कमल पुत्र चमन लाल के नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 27-08-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 08/2018

तारीख मरजुआ : 20-08-2018

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम न्हेवट, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम न्हेवट, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा उप-महाल न्हेवट में उसकी माता जी का नाम श्रीमती लीलावती धर्मपत्नी स्व0 श्री नन्द लाल दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम श्रीमती लीला देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री नन्द लाल है जो कि सही है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 24-09-2018 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 07/2018

तारीख मरजुआ : 03-07-2018

श्रीमती विधा देवी पत्नी स्व0 श्री राजु आर्य, निवासी ग्राम व डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्रीमती विधा देवी पत्नी स्व० श्री राजु आर्य, निवासी ग्राम व डाकघर हलोग, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा उप-महाल शील में प्रार्थी का नाम श्रीमती विधाधरे पुत्री चेत राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम श्रीमती विधा देवी पुत्री श्री चेत राम है जो कि सही है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 23-09-2018 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Smt. Niraj Chandra, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Shri Raghav Sharma, aged about 32 years, s/o Sh. Matadeen Sharma r/o U-1, JDA Flats, Sethi Colony, Jawahar Nagar, Jaipur-302004, Rajasthan (India).
2. Smt. Swati Chauhan aged about 31 years, d/o Shri R.S. Chauhan, r/o Kahan Niwas, Keleston Estate, Shimla-171001, Himachal Pradesh (India) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject: Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Raghav Sharma, aged about 32 years, s/o Sh. Matadeen Sharma r/o U-1, JDA Flats, Sethi Colony, Jawahar Nagar, Jaipur-302004, Rajasthan (India) and Smt. Swati Chauhan aged about 31 years, d/o Shri R.S. Chauhan, r/o Kahan Niwas, Keleston Estate, Shimla-171001, Himachal Pradesh (India) have filed an application alongwith affidavits before the Court of undersigned on 23-08-2018 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 14th October, 2016 at Hotel Peter Hoff Shimla, and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this

court on or within 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized accordingly.

Issued today on 23rd August, 2018 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), Distt. Shimla, H.P.*

**In the Court of Shri Rishabh Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Nerwa,
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Shyam Singh s/o Sh. Mohar Singh, r/o Vill. Bandur, P.O. Paban, Tehsil Nerwa,
District Shimla, H.P. *..Applicant.*

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Shyam Singh s/o Sh. Mohar Singh, r/o Vill. Bandur, P.O. Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of name of his sons/daughter namely Miss Dimple whose date of birth 03-06-1999 & Mr. Sanjay 06-07-2000 Mr. Arun 01-08-2002 in the Gram Panchayat Paban, Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 06-9-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 06th August, 2018.

Seal.

RISHABH SHARMA,
*Executive Magistrate,
Tehsil Nerwa, District Shimla, H.P.*

